



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ३]

शुक्रवार, मार्च ३, २०२३/फाल्गुन १२, शके १९४४

[पृष्ठे १६, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६ (१) के प्रथम परंतुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. A. BILL No. VII OF 2023.

A BILL

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN
FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF
THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR
ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2023.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ७ सन् २०२३।

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२३ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२३ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ उपबंध किया जाए ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०२३ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

राज्य की समेकित निधि में से वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के लिये, ६३ अरब, ८३ करोड़, ९७ लाख, २५ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर तिरसठ अरब, तिरासी करोड़, सतानवें लाख, पच्चीस हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में सन् २०२३ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जाएगी।

विनियोग। ३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिए प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२३ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची
(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमों जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		
			विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
			रुपये	रुपये	रुपये
क—राजस्व लेखों पर व्यय					
गृह विभाग					
बी-१	पुलिस प्रशासन ।	२०१४, न्याय प्रशासन । २०५५, पुलिस । २०७०, अन्य प्रशासकिय सेवा ।	११,०००		११,०००
बी-२	राज्य उत्पाद शुल्क ।	२०३९, राज्य उत्पाद शुल्क ।	१,४८,०८,०००		१,४८,०८,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन ।	२०४१, वाहनों पर कर । ३०५५, सड़क परिवहन । ३०५६, अन्तरराज्यीय जल परिवहन ।	२,६७,७३,३२,०००		२,६७,७३,३२,०००
बी-५	जेल	२०५६, जेल	१,०००		१,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ ।	३००१, भारतीय रेल-नीती-निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान और अन्य विविध संगठन । ३०५१, पतन तथा दीप गृह ।	२,०००		२,०००
		कुल—गृह विभाग ।	२,६९,२१,५४,०००		२,६९,२१,५४,०००
राजस्व तथा वन विभाग					
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व । २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क । २०५३, जिला प्रशासन । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।	१,०००		१,०००

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
सी-२	स्टाम्प और पंजीकरण ।	राजस्व तथा वन विभाग—जारी			
		२०३०, स्टाम्प और पंजीकरण ।	२,०००	...	२,०००
सी-७	वन ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	३,०००	...	३,०००
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा ।			
		२२५१, पहाड़ी क्षेत्र ।			
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग ।	६,०००	...	६,०००
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग			
डी-३	कृषि सेवाएँ ।	२४०१, कृषि कर्ज ।			
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।	२,०००	...	२,०००
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा ।			
डी-४	पशुपालन ।	२४०३, पशुपालन ।	७,०००	...	७,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग ।	.. २४०५, मत्स्य उद्योग ।	१२,२७,५८,०००	...	१२,२७,५८,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग ।	१२,२७,६७,०००	...	१२,२७,६७,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग			
इ-२	सामान्य शिक्षा ।	.. २२०२, सामान्य शिक्षा ।	३,०००	...	३,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग ।	३,०००	...	३,०००

नगरविकास विभाग

एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	..	२०५३, जिला प्रशासन।	..	८,०००	...	८,०००
			२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।				
			२२१७, नगरविकास।				
			३०५४, सड़क तथा पुल।				

कुल—नगरविकास विभाग।

८,०००	...	८,०००
-------	-----	-------

वित्त विभाग

जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	..	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण।	..	९,६९,३९,०००	...	९,६९,३९,०००
			२०४०, विक्रय, व्यापार आदि पर कर।				
			३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।				
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	..	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	..	१०,९४,४९,०००	...	१०,९४,४९,०००
जी-६	पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	२०७१, पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।		..	९,००,००,०००	...	९,००,००,०००

कुल—वित्त विभाग।

२०,६३,८०,०००	९,००,००,०००	२९,६३,८०,०००
--------------	-------------	--------------

लोकनिर्माण कार्य विभाग

एच-३	आवास।	..	२२१६, आवास।	..	९७,३९,४०,०००	...	९७,३९,४०,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।		३०५४, सड़क तथा पुल।	..	६,४२,४७,००,०००	...	६,४२,४७,००,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	..	२०५९, लोकनिर्माण कार्य।	..	८,०००	...	८,०००
			२२०२, सामान्य शिक्षा।				
			२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
			२२०५, कला तथा संस्कृति।				
			२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
			२२१७, नगरविकास।				
			२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।				
			२४०३, पशुपालन।				
			२४०५, मत्स्योद्योग।				

कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।

९,३९,८६,४८,०००	...	९,३९,८६,४८,०००
----------------	-----	----------------

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये
जलस्रोत विभाग					
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक . . .	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई। २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान।	४,०००	...	४,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	४,०००	...	४,०००
विधि तथा न्याय विभाग					
जे-१	न्याय प्रशासन।	.. २०१४, न्याय प्रशासन।			
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ।	.. २०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। .. २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। .. २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। .. २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। .. ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	१,००० १,०००	४,००० ...	५,००० १,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	२,०००	४,०००	६,०००
उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग					
के-१	पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	४,५२,४७,०००	...	४,५२,४७,०००
के-४	श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।	१,०००	...	१,०००
के-७	उद्योग।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	७,६३,७७,१४,०००	...	७,६३,७७,१४,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	७,६८,२९,६२,०००	...	७,६८,२९,६२,०००

ग्रामविकास विभाग

एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम।	..	२०५९, लोकनिर्माण कार्य।	..	१,०००	...	१,०००
			२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
			२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।				
			२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
			२५०५, ग्राम नियोजन।				
			२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
			२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
			३०५४, सड़क तथा पुल।				
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	२२,१४,७२,८०,०००	...	२२,१४,७२,८०,०००
कुल—ग्रामविकास विभाग				..	२२,१४,७२,८१,०००	...	२२,१४,७२,८१,०००

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	..	२०५३, जिला प्रशासन।	..	९,०००	...	९,०००
			२२०२, सामान्य शिक्षा।				
			२२०५, कला तथा संस्कृति।				
			२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
			२२११, परिवार कल्याण।				
			२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
			२२१६, आवास।				
			२२१७, नगर विकास।				
			२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)
			रुपये	रुपये
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन । २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नविकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग । २८५२, उद्योग ।		१,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग ।		१,०००
योजना विभाग				
ओ-८	पर्यटन ।	३४५२, पर्यटन ।		२,०००
		कुल—योजना विभाग ।		२,०००
लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ । २०१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२११, परिवार कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		४,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग ।		४,०००
चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-३	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ । २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		१,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग ।		१,०००

जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना
पर राजस्व व्यय।

जनजाति विकास विभाग

२०५९, लोकनिर्माण कार्य।	..	८,०००	...	८,०००
२२०२, सामान्य शिक्षा।				
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
२२११, परिवार कल्याण।				
२२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता।				
२२१७, नगर विकास।				
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
२२३०, श्रम, कौशल विकास नियोजन।				
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
२२३६, पोषण।				
२४०१, कृषि कर्म।				
२४०३, पशुपालन।				
२४०५, मत्स्योद्योग।				
२४०६, वन तथा वन्यजीवन।				
२४२५, सहकारिता।				
२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।				
२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
२५०५, ग्राम नियोजन।				
२७०२, लघु सिंचाई।				
२८०१, विद्युत।				
२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
२८५१, ग्रामोद्योग और लघुउद्योग।				
२८५२, उद्योग।				
३०५४, सड़क तथा पुल।				
३०५५, सड़क परिवहन।				

कुल—जनजाति विकास विभाग। ..

८,०००

...

८,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)
			रुपये	रुपये
सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-२ सहकारिता।	..	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।	..	१३,३४,९६,३६,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
..		२४२५, सहकारिता ।		
		२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम ।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।		
		२८५२, उद्योग ।		
		३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ ।		
		३४५६, सिविल आपूर्ति ।		
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग ।	..	१३,३४,९६,३६,०००
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-३ तकनीकी शिक्षा ।	..	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।	..	१,०००
डब्ल्यू-४ कला तथा संस्कृति ।	..	२२०५, कला तथा संस्कृति ।	..	१०,२३,४९,०००
		कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	..	१०,२३,५०,०००
महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-१ सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण ।	..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..	४,०००
		२२३६, पोषण ।	..	४,०००
		कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग ।	..	४,०००
जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग				
वाय-२ जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।	..	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।	..	१,०००
		कुल— जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग ।	..	१,०००

कौशल विकास, नियोजन, उद्योगिता तथा नवाचार विभाग

जेड-क-१ ब्याज अदायगी ।	२०४९,	ब्याज अदायगी ।	..	..	५,९८,९७,४०,०००	५,९८,९७,४०,०००
जेड-क-२ सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२३०,	तकनीकी शिक्षा ।	..	१,०००	..	१,०००
	२२३०,	श्रम, नियोजन कौशल विकास ।	..	..	..	..
	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..	..	..	..
	२२५९,	सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ ।	..	..	..	..
	२४०६,	वन तथा वन्य जीवन ।	..	..	..	..
		कुल- कौशल विकास, नियोजन, उद्योगिता तथा नवाचार विभाग ।	..	१,०००	५,९८,९७,४०,०००	५,९८,९७,४१,०००
पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग						
जेड घ-४ पर्यटन ।	३४५२,	पर्यटन ।	..	१,०००	..	१,०००
		कुल- पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग ।	..	१,०००	..	१,०००
अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग ।						
जेड छ-३ विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग का कल्याण ।	२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण ।	..	४,०००	..	४,०००
	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..	..	..	..
		कुल-अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग	..	४,०००	..	४,०००
विकलांग व्यक्ति कल्याण विभाग ।						
जेड झ-१ ब्याज अदायगी ।	२०४९,	ब्याज अदायगी ।	..	..	१,०००	१,०००
जेड झ-२ सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ ।	२२५९,	सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ ।	..	१५,०००	..	१५,०००
जेड झ-३ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..	८६,०००	..	८६,०००
		कुल-विकलांग व्यक्ति कल्याण विभाग	..	१,०९,०००	१,०००	१,०९,०००
		कुल — क-राजस्व लेखे पर व्यय ।	..	५३,७०,२३,३७,०००	६,०७,९७,४५,०००	५९,७७,४०,८२,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय				
गृह विभाग				
बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय। . .	४०५५, पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय।	२,०००	२,०००
		४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	...	...
		५००२, भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाईन पर पूँजीगत परिव्यय।		
		५०५५, सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय।		
		कुल—गृह विभाग। . .	२,०००	२,०००
डी-९				
कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास और मत्स्योद्योग विभाग				
	मत्स्य उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय। . .	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय।	१,०००	१,०००
	..	६४०५, मत्स्य उद्योग के लिए कर्ज।	...	...
		कुल— कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास और मत्स्योद्योग विभाग। . .	१,०००	१,०००
नगर विकास विभाग				
एफ-७	नगर विकास के लिए कर्ज। . .	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।	१,०००	१,०००
		कुल— नगर विकास विभाग। . .	१,०००	१,०००
जी-८				
वित्त विभाग				
	मत्स्य उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय। . .	४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	७५,००,००,०००	७५,००,००,०००
	..	५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	...	...
		कुल— वित्त विभाग। . .	७५,००,००,०००	७५,००,००,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	
			रुपये	रुपये
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		कुल—जलस्रोत विभाग।	११,०००	११,०००
		योजना विभाग		
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	२,०००	२,०००
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		कुल—योजना विभाग।	२,०००	२,०००
		जनजाति विकास विभाग		
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	२,०००	२,०००
		४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	२,०००	२,०००

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

वी-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	१,०००	..	१,०००
			४४३५, अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।				
			४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।				
			५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।				
			कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग	..	१,०००	...	१,०००
मृदा और जल संरक्षण विभाग							
जेड-ज-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	४४०२, मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत व्यय ।	..	२,०००	...	२,०००
			४७०२, लघुसिंचाई पर पूंजीगत व्यय ।				
			कुल—मृदा और जल संरक्षण विभाग ।	..	२,०००	...	२,०००
विकलांग व्यक्ति कल्याण विभाग							
जेड-झ-४	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	४२३५, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	१,०००	..	१,०००
जेड-झ-५	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि ।	७६१०,	७६१०, सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि ।	..	३,०००	..	३,०००
			कुल—विकलांग व्यक्ति कल्याण विभाग	..	४,०००	...	४,०००
			कुल — ख-पूंजीगत लेखे पर परिव्यय ।	..	४,०६,५६,४३,०००	..	४,०६,५६,४३,०००
			कुल योग ।	..	५७,७६,७९,८०,०००	६,०७,१७,४५,०००	६३,८३,१७,२५,०००

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

प्रस्तुत विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसरण में, राज्य की समेकित निधि में से, वर्ष २०२२-२०२३ के संबंध के कतिपय सेवाओं तथा प्रयोजनों पर अनुपूरक व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोग का उपबंध करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

रकमें नीचे दर्शायी गई हैं :—

	रुपये
(क) राजस्व व्यय	५९,७७,४०,८२,०००
(ख) पूँजीगत व्यय	४,०६,५६,४३,०००
कुल	६३,८३,९७,२५,०००

मुंबई,
दिनांकित ३ मार्च २०२३।

देवेंद्र फडणवीस,
उप-मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।